प्रपत्र 30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector -------

No 02

Dated 01-02-2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.600 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Panchayat Satpuli for construction Trenching graund.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.600 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha (s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी,
गढ़वाल

प्रपत्र 30.1

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand | Office of the District Collector

No 03 | Dated 01-02-2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.600 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Panchayat Satpuli for construction of **Trenching Ground** in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of **Satpuli malli** village in tehsils **Satpuli**.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.056 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 2

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure 1 to annexure 1

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

Signature(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र –30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pauri Grahwal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr Dhiraj Singh Garbyal** I.A.S Deputy commissioner, Pauri Garhwal on dated 01-02-2021 at time ...11.......at .... in which application claiming rights in .... area measuring **0.600 hect** for the construction of .... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lansdowne** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pauri Garhwal...

Dated:...1-2-2021...

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढवाल में नगर पंचायत सतपुली सीमान्तर्गत नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 हे0 भूमि नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतपुली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सतपुली

उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** (0.600 हे0 वन पंचायत भूमि,) का अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली, पौड़ी गढवाल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 23-1-2021 .. को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संदीप कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री संदीप कुमार उपजिलाधिकारी अध्यक्ष, (हस्ताक्षर सील सहित) उपजिलाधिकारी सतपुली (गढ़वाल)

2– श्री गिरीश चन्द बैलवाल उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य, (हस्ताक्षर सील सहित) उप प्रभागीय वनाधिकारी (कोटद्वार) लैंसडौन वन प्रभाग

3– श्री हरपाल सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव (हस्ताक्षर सील सहित)

4– श्रीमती अन्जना वर्मा अध्यक्षा न0पं0सतपुली क्षेत्र सदस्य (हस्ताक्षर सील सहित)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** परियोजना हेतु. **0.600** हे0 वन पंचायत भूमि **अधिशासी अधिकारी नगर पचांयत सतपुली** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पंचायत सतपुली के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार......... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** परियोजना के निर्माण हेतु **0.600 हे0** वन भूमि **अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सतपुली
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/01/2021

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सतपुली
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

जनपद– पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	**जनपद पौडी गढवाल में नगर पंचायत सतपुली सीमान्तर्गत नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 हे0 भूमि नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम सतपुली मल्ली
तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** परियोजना के निर्माण हेतु (0.600 हे0 वन पंचायत भूमि,) का **नगर पंचायत सतपुली** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सतपुली मल्ली द्वारा दिनांक 17-1-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा क़ी गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सतपुली मल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सचिव
दिनांक 17-01-2018
फोरेस्ट सतपुली जिला गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगर पंचायत सतपुली मे कूडा निस्तारण हेतु ग्राम-सतपुली मल्ली, पट्टी सेंधूरवल्ला के हाल खतौनी खाता सं० 06 के खसरा सं० 1968 मध्ये रकबा 0.600 है० भूमि जो कि वर्तमान मे प्रबन्ध पंचायत जंगल के नाम- मू- अभिलेखो मे दर्ज है प्रस्तावित भूमि का वन पंचायत सरपंच व सदस्य सभी ग्रामवासियो के समक्ष अनापत्ति प्रमाण हेतु बैठक दिनांक 17.01.2018 मिलन केन्द्र सतपुली मल्ली मे हुई जिसमे ग्रामवासियो व सरपंच वन द्वारा कोई आपत्ति नही है।

1. सतेन्द्र सिंह वन सरपंच, सतेन्द्र सिंह
2. संजय सिंह पूर्व क्षे० पं०, सदस्य, संजय
3. देवेन्द्र सिंह
4. मानसिंह
5. डबल सिंह
6. बलवन्त सिंह
7. प्रभा देवी
8. किशोरी देवी
9. अनिता देवी
10. सुनीता देवी
11. राजेश्वरी देवी
12. किसनी देवी
13. विद्यता देवी
14. लक्ष्मी देवी
15. अनिल सिंह
17. उमेद सिंह
18. रामचन्द्री देवी
19. देवेश्वरी देवी
20. सरोजनी देवी
21. यशोदा देवी
22. सुमित्रा देवी
23. नीलम देवी (25) दयमन्ती
24. लक्ष्मी देवी
25. बीना देवी
26. सुनीता देवी
27. ऊषा देवी
28. जमुना
29. राजेश्वरी देवी
30. गंगोत्री देवी
31. मक्ना देवी
32. शारदी देवी

It is further certified that Minutes of Meeting of Construction of Trenchig graund land 0.600 htr Regarding FRA is as following.

Sr.No		Remark
1	The complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.600 hectares of forest area proposed for division. A copy of record of all consultation and meeting of forest righjt committee(s), sub Divisons Level committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitation belonging to scheduled tribes tribes and other tredotional forest dwellers.
2	The ndiversion of forest land for facilities managed by the govement as required under section 3(2) of FRA have been completed and gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitation belonging to scheduled tribes tribes and other tredotional forest dwellers. No objection certificate of aforesaid villages regarding construction of aforesaid construction of Trenching graund is attached
3	The proposai does not onvole recognized right of primitive tribal groups and pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitation belonging to scheduled tribes tribes and other tredotional forest dwellers.

जिला पंचायत सदस्या / अध्यक्ष
पौड़ी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

वनक्षेत्राधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत

जिलाधिकारी गढ़वाल
जिलाधिकारी
गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन